न्यायालय तहसीलदार रतनगढ

सरकार V/s राजूसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपूत
नि० जैगाणिया बीका
मु.न. 07
अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट1956
निर्णय दिनांक 10/10/17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी उपस्थित । प्रश्नगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का आलसर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम जैगाणिया बीका के ख.न. 60 तादादी 1.10 बीघा किस्म जमीन गै.मु.[illegible] भूमि में से 0.07 भूमि पर अप्रार्थी राजूसिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी जैगाणिया बीका ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर [illegible] अतिक्रमण कर लिया है ।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण एल.आर.एक्ट1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपने नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। जबाब संतोषप्रद नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है ।

अतःअप्रार्थी राजूसिंह पुत्र जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी जैगाणिया बीका को ग्राम जैगाणिया बीका के खसरा नम्बर 60 तादादी 0.07 बीघा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं बेदखल करने के आदेश दिये जाते है । ग्राम जैगाणिया बीका के शरह पड़ता लगान 1=00 [illegible] का 50 गुणा 18=00 रूपये दण्ड स्वरूप कायम किया जाता है । टी.आर.ए. के रजिस्टर में अंकित किया जाकर भू.अ. निरीक्षक परसनेऊ व पटवारी हल्का आलसर को बेदखली व तावान वसूली हेतु आदेश दिया जाता है, पत्रावली निर्णयशुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तहसीलदार

Scanned by CamScanner